भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 826
सोमवार, 28 जुलाई, 2025 (6 श्रावण, 1947, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

यात्री हवाई किराए की निगरानी

826. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्योहारों, छुट्टियों या आपात स्थितियों के दौरान हवाई टिकट की कीमतों में अचानक वृद्धि की निगरानी और विनियमन के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार यात्रा की व्यस्ततम अवधि के दौरान टिकट की कीमतों को समुचित रखने के लिए एयरलाइनों को मार्गदर्शन देने हेतु कोई सांकेतिक कीमत निर्धारण बैंड या संदर्भ मूल्य निर्धारित करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या यात्रियों के लिए हवाई टिकट की कीमतों में अचानक या अस्पष्ट वृद्धि के बारे में शिकायत दर्ज करने हेतु कोई तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): हवाई किराए सरकारी विनियमन के अध्यधीन नहीं हैं और एयरलाइनों को अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए हवाई किराए निर्धारित करने की छूट है। हवाई किराए का मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग की मूलभूत आर्थिक शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अध्यधीन होता है। वर्तमान सीट अधिभोग, ईंधन लागत, विमान क्षमता और प्रतिस्पर्धी कारक जैसे विभिन्न निर्धारक एयरलाइन टिकट के मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

हवाई किराए में वृद्धि को कम करने के लिए, मंत्रालय सतर्क रहता है और अत्यधिक मूल्य निर्धारण को रोकने तथा यात्रियों की सुविधा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षमता अंतरित करने हेतु हस्तक्षेप करता है। ओणम 2024 के दौरान, त्योहारों के पीक सीज़न के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, मेट्रो प्वाइंट (दिल्ली-दुबई और दुबई-दिल्ली) से गैर-मेट्रो प्वाइंट (कोच्चि-दुबई और दुबई-कोच्चि) के लिए क्षमता अंतरित करके दिनांक 08.09.2024 से 30.09.2024 तक कोच्चि-दुबई के बीच 04 अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ानें परिचालित की गई थी।

महाकुंभ के दौरान, जैसे-जैसे व्यस्ततम दिन पास आ रहे थे, विशेष रूप से शाही स्नान और अन्य महत्वपूर्ण स्नानों के दौरान, प्रमुख एयरलाइनों ने महाकुंभ के लिए हवाई किराए में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ा दी थी।

शुरु में प्रयागराज के लिए/से प्रति सप्ताह 8 शहरों को जोड़ने वाली 51 उड़ानें थीं, जिन्हें प्रति सप्ताह 482 अतिरिक्त नई उड़ानें जोड़ कर बढ़ाया गया, जो 18 शहरों को जोड़ते हुए भारत भर से प्रयागराज के लिए प्रत्येक सप्ताह लगभग 70,000 यात्रियों को सेवा प्रदान की गई। एयरलाइनों के साथ बातचीत के उपरांत, प्रयागराज के लिए/से हवाई किराए में गिरावट देखी गई।

पहलगाम हमले की घटना के पश्चात, जम्मू-कश्मीर से पर्यटकों के बड़े पैमाने पर पलायन की आशंका थी, जिससे सामान्य स्थिति में हवाई किराए में उछाल आ जाता। तदनुसार, डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों को परामर्शिकाएँ जारी की। ये निर्देश श्रीनगर

से भारत भर के विभिन्न गंतव्यों तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने, हवाई किरायों का स्पष्ट और पारदर्शी प्रदर्शन सुनिश्चित करने और फंसे हुए पर्यटकों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किए गए थे। एयरलाइनों से सर्ज प्राइसिंग से बचने का भी आग्रह किया गया था, और इस उद्देश्य के लिए एयरलाइनों को दो प्रमुख मार्गों, अर्थात् श्रीनगर-दिल्ली और श्रीनगर-मुंबई, के लिए हवाई किरायों की सीमा निर्धारित करने की सलाह दी गई थी।

कई यात्रियों की चुनौतियों को समझते हुए, एयरलाइनों ने रद्दकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क माफ करके उनकी समस्या को कम करने हेतु लगन से कार्रवाई की। सक्रिय कार्रवाई करते हुए, न केवल श्रीनगर आने-जाने वाली उड़ानों की संख्या दिनांक 22/04/25 को 51 से बढ़ाकर दिनांक 23/04/25 को 56 कर दी गई, बल्कि मूल्यों को भी नियंत्रण में रखा गया। इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, दो दिनों में श्रीनगर से हवाई किराए में उल्लेखनीय कमी देखी गई। श्रीनगर से दिल्ली की उड़ान, जिसका किराया 21 अप्रैल को 20,000 रुपए से अधिक था, 24 अप्रैल तक 10,000 रुपए से कम होकर अधिक किफायती हो गया।

हवाई किराये में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, डीजीसीए ने टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक आधार पर एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके औचक आधार पर चयनित 78 मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (2) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा घोषित सीमा के बाहर हवाई किराया नहीं वसूल रही हैं। इसमें लगभग 27% घरेलू यातायात शामिल है।

भारतीय विमानन उद्योग की जटिल गतिशीलता को देखते हुए, सरकार इस क्षेत्र के विकास को सहायता प्रदान करने के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार कर एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभा रही है।

(ग): नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने घरेलू एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए एयरसेवा प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित "हवाई किराया" शिकायत मॉड्यूल विकसित किया है।

*****